राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.raj.nic.in

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/121-V दिनांक : 03.11.22

अतिरिक्त निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय समस्त
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान

विषय :– ऑनलाईन ई–पेंशन के प्रकरणों में लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ना होने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन ई–पेंशन के प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक के अन्तिम कार्यालय के लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं वेतन स्थिरीकरण की जांच तथा अन्तिम वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है, का प्रमाण पत्र अपलोड करवाया जा रहा था। यह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर पेंशन प्रकरण आक्षेप लगाकर वापिस कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस संबंध में लेख है कि ऑनलाईन ई–पेंशन के प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा सत्यापन के संबंध में एवं वेतन स्थिरीकरण की जांच तथा अन्तिम वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाने संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन कुलक में शामिल कर लिया गया है। अतः ऑनलाईन ई–पेंशन प्रकरणों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो जाने पर लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र अपलोड की आवश्यकता नहीं है। अतः दिनांक 03.11.2022 से प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.raj.nic.in

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/139-U दिनांक : 25.11.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/121–यू दिनांक 03.11.2022 (प्रति संलग्न) को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित(withdraw) किया जाता है ।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांक :–एफ.12 (26)/कम्प्यू./आई.एफ.पी.एम.एस./10/ दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/ उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर।

निदेशक

राजस्थान सरकार

कार्यालय का नाम –

क्रमांक : दिनांक :

<u>लेखाकर्मी का प्रमाण – पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के अधीन श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो कि पद .... पदस्थापन स्थान .... से दिनांक .... को सेवानिवृत्त हो रहे है/हो चुके है के सेवाभिलेख के आधार पर समय–समय पर किये गये वेतन/स्वीकृत की गयी वेतन वृद्धियाँ एवं स्वीकृत की गयी एसीपी/चयनित वेतनमानों की राजस्थान सरकार के नियमों/निर्देशों के क्रम में जाँच कर ली गयी है। तथा इनका अन्तिम वेतन रूपये .... (अक्षरे.. ....) पे–मैट्रिक्स लेवल ....जिस पर पेंशन परिलाभों की गणना की गयी है/की जानी है, सही रूप से निकाला गया है। श्री/श्रीमती .... की कुल अहंकारी सेवा अवधि का सत्यापन सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है, जिसकी अवधि .... वर्ष ....माह एवं .... दिवस है।

(..)

पद.......................................

कार्यालय ....